आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या–24 / 2023
मनोरमा कुमारी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
27.03.2023	यह पुनरीक्षणवाद मनोरमा कुमारी, पति–नंदलाल राम ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया के वाद संख्या–73 / 2020 में दिनांक–07.12.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। आवेदिका (श्रीमती मनोरमा कुमारी) के विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि आवेदिका (श्रीमती मनोरमा कुमारी) ने दिनांक 25.02.2020 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा को प्रखंड गौनाहा अंतर्गत भितिहरवा पंचायत के वार्ड संख्या–06 में सेविका कि नियुक्ति में बरती गयी अनियमितता के लिए आवेदन दिया था, परन्तु उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं की गई। उक्त के विरुद्ध आवेदिका (श्रीमती मनोरमा कुमारी) ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया के समक्ष वाद संख्या–73 / 2020	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	दायर किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेतिया ने भी आवेदिका (मनोरमा कुमारी) द्वारा विभागीय प्रावधानों के अंतर्गत अपील दायर नहीं करने के कारण उनके आवेदिका (मनोरमा कुमारी) आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है। जिसके विरुद्ध यह वाद इस न्यायालय में दायर किया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत वाद में चयन मार्गदर्शिका–2019 का अपुनालन नहीं किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस आवेदन की बात बतायी जा रही है, वह आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनाहा को संबोधित है। आवेदिका (श्रीमती मनोरमा कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका (श्रीमती मनोरमा कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस आवेदन को आधार बनाया जा रहा है, वह आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनाहा को संबोधित है। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया की उस समय (जिस समय आवेदन दी थी) प्रखंड विकास पदाधिकारी ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रभार में थे। यदि इस संबंध में उनकी बात को मान भी लिया जाये तब भी उनके द्वारा दिया गया आवेदन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अंकित नहीं है। अब जहाँ तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश की बात है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश गुण–दोष पर आधारित नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019, पत्रांक 286/मु0 दिनांक 27.05.2019 की कंडिका 11 ''चयन संबंधी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	शिकायत पत्र का निष्पादन'' एवं कंडिका 12 ''अपील'' के निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण उनके (अपीलकर्ता) अपीलवाद को अस्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के रूप में आदेश पारित करना उचित नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करना उचित नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद को अधिग्रहण के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता यदि चाहे तो 15 दिनों के अंदर विभागीय पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के समक्ष वाद दायर कर सकते है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वाद दायर करने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवेदिका द्वारा वाद दायर करने में हुए विलंब को क्षांत करते हुए 30 दिनों के अंदर नियामुकूल आदेश पारित करने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को भी दें। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL